

## प्रपत्र-1

### सौर सुजला योजनान्तर्गत सोलर पंप की स्थापना हेतु हितग्राही का आवेदन पत्र

प्रति,

आवेदन दिनांक:

#### कार्यपालन अभियंता

छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (फ्रेडा),  
क्षेत्रीय कार्यालय, .....

#### द्वारा, उपसंचालक कृषि

जिला -.....

हितग्राही का  
नवीनतम  
फोटोग्राफ

विषय:- सोलर पंप की स्थापना पर अनुदान की स्वीकृति हेतु आवेदन।

महोदय,

छत्तीसगढ़ शासन की सौर सुजला योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में, मैं अपने खेत में, मेसर्स  
द्वारा सोलर पंप की स्थापना छत्तीसगढ़ शासन के अनुदान के साथ कराना  
चाहता / चाहती हूँ। इस संबंध में आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :-

1	आवेदक का नाम	
2	पिता / पति का नाम	
3	महिला / पुरुष / तृतीय लिंग	
4	स्थापना स्थल	
5	हितग्राही का प्रकार (व्यक्तिगत / संस्थागत)	
6	हितग्राही का सम्पूर्ण पता	
7	विकासखण्ड	
8	विधानसभा क्षेत्र	
9	जिला	
10	दूरभाष क्रमांक	
11	ई-मेल पता यदि हो तो	
12	आवेदक का वर्ग (अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पि.व. / सामान्य)	
13	आधार कार्ड क्रमांक	
14	खाताधारक का नाम	
15	खाताधारक का खाता संख्या	
16	बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड	
17	वोटर कार्ड	
18	विद्युत कनेक्शन हेतु डिमाण्ड नोट क्रमांक	
19	प्रस्तावित भूमि का खसरा नम्बर	
20	कुल रकबा (हेक्टेयर में) (खसरे एवं ऋण-पुस्तिका की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)	
21	जल स्रोत (कुआ / बोरबेल / अन्य)	

मैं, इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ। कृपया निम्नानुसार सौर संयंत्र की स्थापना पर  
मेरे पक्ष में राज्य शासन का अनुदान नियमानुसार स्वीकृत करने कि कृपा करें :-

1	प्रस्तावित सोलर पंप का प्रकार	
2	प्रस्तावित सोलर पंप की क्षमता	
3	सोलर पंप स्थापनाकर्ता इकाई	
4	सोलर मॉड्यूल क्षमता एवं मेक	
5	कंट्रोलर क्षमता एवं मेक (पम्प हेतु)	
6	पम्प का मेक	

नोट— स्वप्रमाणित जाति प्रमाण पत्र के संबंध में विवाद होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर का निर्णय  
अंतिम होगा।

कृ.प.उ.

संयंत्र की स्थापना उपरांत संयंत्र की सुरक्षा तथा रखरखाव की जवाबदारी मेरी होगी। संयंत्र के प्रदायकर्ता तथा उनके उत्पादों का चयन मेरे द्वारा किया गया है, जिसमें तकनीकी वारंटी अवधि 05 वर्ष शामिल है। संयंत्र में किसी प्रकार की क्षति अथवा मेरी असाधानी के कारण संयंत्र में आयी खराबी के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। क्रेडा की बिना अनुमति के मैं संयंत्र विस्थापित/स्थानांतरित नहीं करूँगा। क्रेडा द्वारा समय-समय पर जारी नीति एवं दिशानिर्देशों का मैं पालन करूँगा।

इकाई द्वारा संयंत्र के संबंध में निम्न जानकारी दी गई है:-

संयंत्र लागत समस्त व्यय एवं 05 वर्षीय रखरखाव सहित	प्रस्तावित राज्य अनुदान	मेरे द्वारा इकाई को देय राशि

सोलर फोटोवोल्टाईक संयंत्र हेतु रुपये 1/- प्रतिवॉट के मान से आवेदन शुल्क आवेदन के साथ जमा कराया जा रहा है। मेरे पेटे तथा मेरे नाम से क्रेडा से अनुदान प्राप्त करने हेतु मैं मेसर्स \_\_\_\_\_ को अधिकृत करता/करती हूँ।

धन्यवाद,

आवेदक का हस्ताक्षर

- संलग्न:-**
1. पहचान पत्र की सत्यापित छायाप्रति,
  2. पते के प्रमाण की सत्यापित छायाप्रति,
  3. आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति (अनिवार्य)
  4. वोटर कार्ड की सत्यापित छायाप्रति,
  5. बिजली बिल की सत्यापित छायाप्रति,
  6. भूमि का खसरा/रकबा एवं कार्य स्थल का सत्यापित नकशा (अनिवार्य)
  7. जाति प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति (अनिवार्य)
  8. आवेदन शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट ( पम्प अनुसार अनिवार्य)
  9. स्थापना स्थल के फोटोग्राफ्स,
  10. बैंक पासबुक की सत्यापित छायाप्रति (पम्प अनुसार अनिवार्य)

#### साध्य/असाध्य श्रेणी के पंप हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त हितग्राही सौर सुजला योजना अंतर्गत सोलर पम्प स्थापना हेतु पात्र हितग्राही है। उसे पात्रतानुसार अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

उपसंचालक (कृषि)

जिला.....  
के सील एवं हस्ताक्षर